<u>भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड I में प्रकाशनार्थ</u>

<u>फा. सं. 7/04/2026– डीजीटीआर</u>

भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,

5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांक: 19 मार्च, 2026

<u>जांच शुरुआत अधिसूचना</u>

(मामला सं. एडी (एसएसआर) 01/2026)

(सेतु मामला आई.डी.एडी/एसएसआर/002/2026)

विषय: <u>चीन जन. गण. से आयातित, एरोमैटिक या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के एसीटो एसिटाइल डेरिवेटिव्स, जिन्हें एरीलाइड्स भी कहा जाता है, के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत।</u>

1. **फा. सं. 7/04/2026-डीजीटीआर**: समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' के रुप में कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद 'नियमावली' के रुप में कहा गया है) के अनुसार, मैसर्स लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिसे इसके बाद 'आवेदक' के रुप में कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद 'प्राधिकारी' के रुप में कहा गया है) के समक्ष चीन जन. गण. (जिसे इसके बाद 'संबद्ध देश' के रुप में कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'एसिटो एसेटिल डेरिवेटिव्स', जिसे 'एरिलाइड' के नाम से भी जाना जाता है (जिसे इसके बाद 'एरिलाइड' या 'विचाराधीन उत्पाद' या 'संबद्ध वस्तु' के रुप में कहा गया है), के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने के लिए आवेदन दायर किया है।

2. अधिनियम की धारा 9क (5) के संदर्भ में, लागू पाटनरोधी शुल्क, जब तक इसे पहले रद्द न कर दिया गया हो, इसे लागू किए जाने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के समाप्त होने पर प्रभावी नहीं रहेगा और प्राधिकारी को यह समीक्षा करनी होती है कि शुल्कों की समाप्ति होने पर पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृति

होने की संभावना है अथवा नहीं। इसी के अनुसार, प्राधिकारी को यह समीक्षा करनी होती है कि घरेलू उद्योग द्वारा या उनके ओर से किए गए एक विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर, शुल्कों की समाप्ति होने पर पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है अथवा नहीं।

क. पृष्ठभूमि

3. प्राधिकारी द्वारा चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में मूल जांच दिनांक 21 अगस्त 2020 की अधिसूचना सं. 6/28/2020-डीजीटीआर के माध्यम से शुरू की गई थी। प्राधिकारी ने दिनांक 19 अगस्त, 2021 को अंतिम जांच परिणामों की अधिसूचना जारी की, जिसमें कि चीन जन. गण. से 'अरोमैटिक या हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड के एसेटो एसीटिल के डेरिवेटव्स, जिन्हें एरिलाइड्स के नाम से भी जाना जाता है' के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की। दिनांक 14 अक्टूबर 2021 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 60/2021-सीमाशुल्क (एडीडी) के माध्यम से संबद्ध वस्तुओं पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया। उक्त शुल्क 5 वर्षों की अवधि के लिए लगाए गए थे, जब तक कि उन्हें पहले रद्द न किया जाए, और यह 13 अक्टूबर, 2026 को समाप्त हो जाएंगे।

ख. विचाराधीन उत्पाद

4. विचाराधीन उत्पाद "अरोमैटिक या हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के एसेटो एसेटिल डेरिवेटिव" या "एरिलाइड्स" है। मूल जांच के अनुसार, उत्पाद को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है:

"8. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "अरोमैटिक या हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के एसेटो एसेटिल डेरिवेटिव" या "एरिलाइड्स" है। एरिलाइड्स के निम्नलिखित रूप वर्तमान जांच के दायरे में शामिल हैं, जबकि अन्य सभी रूप बाहर हैं:

क. एसेटोएसेटएनिलाइड या एएए;

ख. एसेटोएसेट-मेटा-क्सीलीडाइड या एएएमएक्स;

ग. एसेटोएसेट-ओ-एनिसिडाइड या एएओए;

घ. एसेटोएसेट-ओ-टोलुइडाइड या एएओटी;

ङ. एसेटोएसेट-ओ-क्लोरोएनिलाइड या एएओसीए"

5. अन्य सभी प्रकार के एरिलाइड्स उत्पाद की सीमा से बाहर हैं। इस संदर्भ में प्राधिकारी ने निम्नलिखित अनुरोध किया है:

"9..... एरोमैटिक या हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के विभिन्न प्रकार के एसीटो एसीटिल डेरिवेटिव्स विश्व भर में उत्पादित और बिक्री किए जा सकते हैं। निम्नलिखित अन्य ज्ञात डेरिवेटिव्स हैं जो भारत में उत्पादित होते हैं, तथापि ये उत्पाद विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं क्योंकि ये विशेष अनुकूलित उत्पाद हैं, जिन्हें छोटे पैमाने पर ग्राहकों की विशिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार निर्मित किया जाता है और ऐसे एरिलाइड्स के कोई ज्ञात आयात नहीं हैं:

(i) एएपीए- एसीटोएसेट-पी-एनिसिडाइड
(ii) एएपीसीए - एसीटोएसेट-पी-क्लोरोएनिलाइड
(iii) एनएसीएसए - एसीटोएसेट-पी-क्रेसीडाइन-ओ-सल्फोनिक एसिड
(iv) एएपीसीओए - एसीटोएसेट-पी-क्लोरो-ओ-एनिसिडाइड
(v) सी1-डीएईपी - एन, एन' - (2-क्लोरो-1,4-फेनिलीन) बिस (3-ऑक्सोब्यूटेनएमाइड)
(vi) एएएसपी - पॉट 4 एसीटोएसेटाइलेनएमिनोबेंज़सल्फोनेट
(vii) एएपीटी- एसीटो एसेट पी-टोलुइडाइड

10. *निम्नलिखित अन्य ज्ञात एसेटो एसेटिल डेरिवेटिव्स हैं जिनमें एरोमैटिक या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड शामिल हैं, जिन्हें कम मात्रा में आयात किया जा रहा है, लेकिन इन्हें विचाराधीन उत्पाद की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि ये भी सीमा शुल्क-निर्मित उत्पाद के प्रकार हैं और घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित नहीं किए जा रहे हैं।*

i. 2',5'-डाइमिथॉक्सी-4'-क्लोरो-एसेटोएसेटानिलाइड, नैफ्थोल एएसआईआरजी और
ii. 5-एसेटोएसेटिल अमिनोबेंजिमिडाजोलोन, 5-एएबीआई

6. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के तहत उप-शीर्ष 292429 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। यह देखने में आया है कि संबद्ध वस्तुएं जांच की अवधि के दौरान अन्य कोड, अर्थात् 29242920, 29242990 और 2924 2930 के तहत आयात की गई हैं। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और

विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

7. आवेदक ने उत्पाद के दायरे के भीतर शामिल उत्पाद प्रकारों के आधार पर निम्नलिखित पीसीएन प्रस्तावित किए हैं:

क. एसेटोएसेटएनिलाइड या एएए;

ख. एसेटोएसेट-मेटा-क्सीलीडाइड या एएएमएक्स;

ग. एसेटोएसेट-ओ-एनिसिडाइड या एएओए;

घ. एसेटोएसेट-ओ-टोलुइडाइड या एएओटी;

ड. एसेटोएसेट-ओ-क्लोरोएनिलाइड या एएओसीए

8. यह दावा किया गया है कि इस अवधि में कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ है। वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच होने के नाते, विचाराधीन उत्पाद वही रहता है जैसा कि मूल जांच में परिभाषित किया गया था।

ग. समान वस्तु

9. आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से निर्यात किए गए उत्पाद में कोई विशेष अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद, भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, निर्माण प्रक्रिया और तकनीक, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा संबद्ध वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के मामले में तुलनीय हैं। संबद्ध वस्तुएं और आवेदक द्वारा निर्मित उत्पाद तकनीकी और व्यावसायिक रूप से एक-दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जा सकते हैं। आवेदक ने यह दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ता, संबद्ध वस्तुओं और आवेदक द्वारा निर्मित उत्पाद का उपयोग एक-दूसरे के स्थान पर (अदला-बदली करके) कर रहे हैं। 'समान उत्पाद' के मामले की जांच प्राधिकारी द्वारा मूल जांच में पहले ही की जा चुकी है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद, संबद्ध देश से उत्पादित और आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान उत्पाद है।

घ. संबदध देश

10. वर्तमान 'निर्णायक समीक्षा जांच' के लिए संबद्ध देश चीन जन. गण. है।

ड. जांच की अवधि

11. वर्तमान जांच के लिए 'जांच की अवधि' (पीओआई) 01 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 (12 माह) तक है। 'क्षति जांच की अवधि' में वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 और वर्तमान जांच की अवधि शामिल होगी।

च. घरेलू उद्योग और स्थिति

12. यह आवेदन मैसर्स लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक भारत में संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है। रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आवेदक का उत्पादन, समान वस्तु के कुल भारतीय उत्पादन का प्रतिनिधित्व करता है। आवेदक ने प्रमाणित किया है कि उन्होंने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है और न ही वे संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक या आयातक से संबंधित हैं।

13. उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए और उपलब्ध जानकारी के आधार पर, प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि यह आवेदन नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) के तात्पर्य से, घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किया गया है।

छ. पाटन की संभावना और उसके जारी रहने या पुनरावृत्ति होने का आधार

क) सामान्य मूल्य

14. आवेदक ने चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) का संदर्भ दिया है और उस पर भरोसा किया है। आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि चीन जन. गण. के उत्पादकों से यह प्रदर्शित करने के लिए कहा जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के निर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में, नियमों के अनुबंध I के पैरा 8(3) के अनुसार, संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाज़ार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं। घरेलू उद्योग द्वारा यह कहा गया है कि यदि उत्तर देने वाले चीन के उत्पादक यह प्रदर्शित करने में असमर्थ रहते हैं कि उनकी लागत और मूल्य की जानकारी बाज़ार-आधारित है, तो सामान्य मूल्य की गणना नियमों के अनुबंध I के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए।

15. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि बाज़ार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में

लागत या कीमत से जुड़ा डेटा उपलब्ध नहीं है। चूंकि विचाराधीन वस्तुओं का कोई विशेष कस्टम वर्गीकरण नहीं है, इसलिए बाज़ार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश से किसी अन्य देश में आयात कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सका। इसके अलावा, भारत में आयात मुख्य रूप से चीन जन.गण. से होता है, जिसमें जापान से आयात 3% से भी कम है, जिससे ऐसा आयात अप्रतिनिधिक हो जाता है। इसलिए, घरेलू उद्योग ने चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य भारत में देय कीमत के आधार पर निर्धारित किया है, जिसमें भारत में उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों को ध्यान में रखा गया है, साथ ही बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों तथा उचित लाभ के लिए उचित वृद्धि भी की गई है। जांच शुरू करने के उद्देश्य से इसी बात पर विचार किया गया है।

ख) निर्यात कीमत

16. आवेदक ने बाज़ार की जानकारी के अनुसार, जांच की अवधि के दौरान आयात की मात्रा और मूल्य को ध्यान में रखते हुए विचाराधीन देश के लिए निर्यात कीमत निर्धारित की है। हालांकि, वर्तमान जांच शुरू करने के उद्देश्यों के लिए, प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस के लेनदेन-वार डेटा पर विचार किया है। समुद्री माल-भाड़ा, शिपिंग लाइन खर्च, समुद्री बीमा, बैंक शुल्क, बंदरगाह खर्च, आंतरिक माल-भाड़ा खर्च, ऋण लागत और वस्तुसूची रखने की लागत के लिए समायोजन किए गए हैं।

ग) पाटन मार्जिन

17. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना बाहय स्तर पर की गई है, जिससे *प्रथम दृष्टया* यह पता चलता है कि पाटन मार्जिन 'डी-मिनिमिस' (न्यूनतम) स्तर से ऊपर बना हुआ है और विचाराधीन देश से निर्यात किए जा रहे उत्पाद के संबंध में यह काफी अधिक है। इस प्रकार, *प्रथम दृष्टया* यह साक्ष्य मौजूद है कि विचाराधीन देश के निर्यातक भारतीय बाज़ार में उस देश के उत्पाद का पाटन करना जारी रखे हुए हैं।

ज. क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना और कारणात्मक संबंध

18. आवेदक द्वारा दी गई जानकारी से यह पता चलता है कि आयात की मात्रा काफी

अधिक बनी हुई है। आयातो से घरेलू उद्योग की कीमतों में कमी आ रही है और घरेलू उद्योग पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। आवेदक ने यह दावा किया है कि संबद्ध वस्तुओं की लगातार मौजूदगी के कारण, उनका प्रदर्शन खराब हुआ है। आवेदक को वित्तीय क्षति, नकदी का नुकसान और लगाई गई पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल का सामना करना पड़ रहा है। आवेदक ने पाटित किए गए और क्षतिकारी आयातों की लगातार महत्वपूर्ण मौजूदगी, संबद्ध आयातों द्वारा बाजार के बड़े हिस्से पर कब्जा, कीमतों में कटौती और आयातों के कारण कीमतों में गिरावट का प्रभाव तथा घरेलू उद्योग की संवेदनशीलता के संबंध में भी जानकारी दी है; ये ऐसे कारक हैं जो पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति होने की संभावना को सिद्ध करते हैं।

19. आवेदक द्वारा दी गई जानकारी, *प्रथम दृष्टया,* यह दर्शाती है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में संबद्ध देश से पाटन जारी रहने और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।

झ. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

20. घरेलू उद्योग द्वारा या उनकी ओर से, निर्धारित प्रारूप और तरीके से दायर किए गए विधिवत समर्थित आवेदन के आधार पर और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत *प्रथम दृष्टया* साक्ष्यों के आधार पर संतुष्ट होने के बाद, जो पाटन के जारी रहने और घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना को पुष्ट करते हैं तथा अधिनियम की धारा 9क(5) के साथ पठित नियमावली के नियम 23 (1) के अनुसार, प्राधिकारी एतद्द्वारा एक 'निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करते हैं। वर्तमान जांच का उद्देश्य संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं के संबंध में, वर्तमान में लागू शुल्कों को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करना है; साथ ही यह भी जांच करना है कि क्या ऐसे शुल्क की अवधि समाप्त होने से पाटन और घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरवृत्ति होने की संभावना है।

ञ. प्रक्रिया

21. इस जांच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया

जाएगा।

ट. सूचना की प्रस्तुति

22. सभी हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है। हितबद्ध पक्षकारों के साथ सभी पत्राचार और अनुरोध उनके पंजीकृत नाम और संबंधित केस आईडी AD/SSR/002/2026 के तहत सेतु पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक भाग सर्चयोग्य पीडीएफ/ एमएस-वर्ड प्रारूप में हो और डेटा फ़ाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हों।

23. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों संबद्ध देश की सरकार को भारत स्थित उसके दूतावास के माध्यम से, और भारत में उत्पाद से संबद्ध ज्ञात आयातकों और उपयोगकर्ताओं को अलग-अलग सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर सभी संबंधित जानकारी प्रस्तुत कर सकें। इस तरह की समस्त जानकारी इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमों, और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचना में उल्लिखित रूप में और तरीके के अनुसार प्रस्तुत की जानी चाहिए।

24. कोई भी अन्य हितबद्ध पक्षकार वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी अनुरोध इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं द्वारा निर्धारित रूप में और निर्धारित तरीके से इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।

25. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय अनुरोध प्रस्तुत किए जाने पर यह आवश्यक है कि वही पक्षकार उसकी अगोपनीय प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए उपलब्ध कराए।

26. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी परामर्श दिया जाता है कि वे इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in और सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर नियमित रूप से दृष्टि रखें और इस संबद्ध जांच में आगे की कार्रवाई से अवगत रहें और समय-समय पर जारी की जाने वाली प्रश्नावली के स्वरूप, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र सूचना, संशोधन की अधिसूचना और अन्य इसी प्रकार की जानकारी के बारे में अवगत रहें।

ठ. समय सीमा

27. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी जानकारी उनके पंजीकृत नाम और संबंधित मामले की आईडी AD/SSR/002/2026 के तहत सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक अनुरोध के दोनों पाठों, गोपनीय पाठ (सीवी) और अगोपनीय पाठ (एनसीवी), को निर्दिष्ट कॉलम में अपलोड किया जाना आवश्यक है और यह अपलोड उस तारीख से 37 दिनों के भीतर करना होगा जब घरेलू उद्योग द्वारा दायर किए गए आवेदन का अगोपनीय पाठ प्राधिकारी दवारा प्रसारित किया जाएगा या पाटनरोधी नियमावली 1995 के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देश के उपयुक्त रणनीतिक प्रतिनिधि को भेजा जाएगा। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त जानकारी अधूरी होती है, तो प्राधिकारी उपलब्ध रिकॉर्ड और पाटनरोधी नियमावली 1995 के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते है।

28. सभी हितबद्ध पक्षकारों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे तत्काल मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) के संबंध में सूचित करें और इस सूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से अपना प्रश्नावली उत्तर प्रस्तुत करें।

29. किसी भी समय विस्तार के लिए अनुरोध संबद्ध पक्षकार द्वारा सेतु पोर्टल के माध्यम से उपरोक्त पैरा 26 में निर्दिष्ट मूल समयसीमा से कम से कम एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समय के बाद प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ड. गोपनीय आधार पर सूचना की प्रस्तुति

30. जहां वर्तमान जांच का कोई पक्षकार गोपनीय अनुरोध करता है या प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करता है, तो ऐसे पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के संदर्भ में और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचना के अनुसार ऐसी जानकारी का एक अगोपनीय पाठ एक साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपरोक्त का पालन करने में विफलता के कारण उत्तर/ अनुरोधों को अस्वीकार किया जा सकता हैं।

31. प्रश्नावली के उत्तरों सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई भी अनुरोध (परिशिष्ट/ अनुलग्नक सहित) करने वाले पक्षकारें को गोपनीय और अगोपनीय पाठ अलग-अलग दाखिल करने की आवश्यकता होती है।

32. ऐसे अनुरोधों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' के रूप में अंकित किया जाना चाहिए। किसी भी अनुरोध को जो इस प्रकार के अंकन के बिना प्राधिकारी को प्रस्तुत किया गया है, प्राधिकारी द्वारा 'अगोपनीय' जानकारी के रूप में माना जाएगा, और प्राधिकारी को इस बात की स्वतंत्रता होगी कि वह अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति प्रदान करें।

33. गोपनीय पाठ में सभी जानकारी शामिल होगी जो गोपनीय प्रकृति की है, और/ या अन्य जानकारी जो उस जानकारी के प्रदाता द्वारा गोपनीय बताई जाती है। ऐसी जानकारी जो गोपनीय प्रकृति की बताई जाती है, या ऐसी जानकारी जिसके बारे में अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया गया है, उस जानकारी के प्रदाता को वह जानकारी प्रस्तुत करते समय एक उचित कारण का विवरण भी प्रदान करना आवश्यक है कि ऐसी जानकारी क्यों प्रकट नहीं की जा सकती।

34. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दाखिल की गई जानकारी का अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की एक प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय जानकारी को वरीयता के साथ सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ा जाए (जहाँ सूचीबद्ध करना संभव न हो) और ऐसी जानकारी का उचित और पर्याप्त सारांश दिया जाना चाहिए, जो इस बात पर निर्भर करता है कि किस जानकारी पर गोपनीयता का दावा किया गया है।

35. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तार में होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रदान की गई जानकारी की सामग्री को उचित रुप से समझा जा सके। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय जानकारी प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह संकेत कर सकता है कि ऐसी जानकारी का सारांश तैयार करना संभव नहीं है और कारणों का ऐसा विवरण प्रदान करना आवश्यक है जिसमें यह स्पष्ट और पर्याप्त रूप से समझाया गया हो कि ऐसा सारांश तैयार करना क्यों संभव नहीं है, और यह विवरण प्राधिकारी के लिए संतोषजनक होना चाहिए।

36. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ के प्रसार की तारीख से 7 दिनों के भीतर गोपनीयता से संबंधित मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।

37. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई जानकारी की प्रकृति की जांच के संबंध में गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते है। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है या यदि जानकारी का प्रदाता जानकारी को सार्वजनिक करने या इसके विशिष्ट या सारांश रूप में प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो यह ऐसी जानकारी की अनदेखी कर सकता है।

38. किसी भी अनुरोध को, जिसमें इसका कोई सार्थक अगोपनीय पाठ नहीं है या जिसमें नियमावली के नियम 7 के अनुसार पर्याप्त और उचित कारण का विवरण नहीं है, और प्राधिकारी द्वारा जारी की गई उचित व्यापार सूचना को, गोपनीयता के दावे पर, प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

ढ़. सार्वजनिक फ़ाइल का निरीक्षण

39. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोधों के सभी अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन के माध्यम से सुलभ होंगे।

ण. असहयोग

40. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार इस जांच शुरुआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई उचित अवधि के भीतर आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है या जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणामों को दर्ज कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को ऐसी यथाउपयुक्त सिफारिशें कर सकते हैं।

अमिताभ कुमार

(अमिताभ कुमार)
निर्दिष्ट प्राधिकारी